DEA XIV

सं0 27/10/2013-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

18 DEC 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड ।

विषयः- दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में श्री प्रदीप कुमार, अनुसेवक, राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, गूलर भोज, ऊधमसिह नगर, उत्तराखण्ड का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवंटन नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन पर विचार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री प्रदीप कुमार, अनुसेवक, जनजाति विकाश विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवंटन नीति के अंतर्गत उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि श्री प्रदीप कुमार, अनुसेवक की उत्तराखंड में पदोन्नति हो चुकी है तथा वह उसी पद पर उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं । समिति द्वारा उनके अनुरोध पर विचार किया गया एवं यह पाया गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवंटन नीति का लाभ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर ही अनुमत्य है । अतः समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी कि यदि वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवंटन नीति का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें नियत तिथि पर धारित पद अर्थात अनुसेवक के रुप में उत्तर प्रदेश में पद भार ग्रहण करना होगा ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री प्रदीप कुमार, अनुसेवक का राज्य पुनरावंटन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवंटन नीति के अंतर्गत उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश राज्य के लिये किया जाता है ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt and Issue Section
18 DEC 2013
जारी किया/ISSUED